to go in for purchases to counter this threat.

Besides the latest U.S. move being naval in nature has no bearing on the Afghanistan situation. The supply of Harpoon missiles to Pakistan by the U.S. would introduce sophistication in warfare, where it has been comparatively limited so far.

To compound this, Washington Journal "Defence and Foreign Affaris" has reported that a proposal is pending for approval before the U.S. Congress for the supply to Pakistan of the sophisticated vulcan air defence system. The supply of 4 vulcan-Phalan close in weapon system would cost £ 38 million.

The Government must try to persuade the U.S. to reconsider its decision and impress upon Pakistan the harmful consequences of further escalation of the arms race in the region.

(iii) ESTABLISHMENT OF NICKEL EXTRACTION PLANT IN SUKINDA CUTTACK (ORISSA).

SHRI ARJUN SETHI (Bhadrak) : Government of India approved a proposal for establishment of a nickel extraction plant in Sukinda area in the district of Cuttack in Orissa in 1974 involving an investment of Rs. 39.50 crores. The project is yet to be taken up by Government in view of certain technical difficulties involving process technology. Sukinda area in the District of Cuttack in Orissa contains only commercially workable deposits of nickel ore in the country. As India is a net importer of nickel metal involving sizable foreign exchange, production of nickel from ores available in the country is necesary from all considerations. It is understood that the Ministry of Steel and Mines had approached Government of Canada for assistance in providing an appropriate technology for setting up a nickel extraction unit in Orissa. It is requested that the matter may plesse be expedited as otherwise, the cost which has already escalated appreciably, will increase still further. It may be noted that it is already 9 years since Government of India accorded approval to the project.

(iv) REMOVAL OF HOTELS AND COMMERCIAL COMPLEX FROM SARNATH (VARANASI) :

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के विश्व विख्यात महान् एवं पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थान सारनाथ की धर्म स्थली के आस-पास होटल, रेस्टोरेंट तथा अन्य व्यापारिक संस्थान बनवा कर उसकी वास्तविकता और मौलिकता को धीरे-धीरे बदला जा रहा है। 1956 में भगवान् बुद्ध की 2500वीं जयन्ती के शुभ अवसर पर हमारे राष्ट्रनायक स्वर्गीय प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने विश्व के लोगों के समक्ष आह्वान किया था कि भारत में जहां-जहां भी बौद्ध तीर्थ-स्थान हैं, उनकी वास्तविकता एवं संस्कृति में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वाराणसी विकास प्राधिकरण सारनाथ में अनेक दुकानें तथा व्यापारिक संस्थानों का निर्माण कराना चाहता है। इसी की देखा देखी प्रदेश के वन विभाग तथा पर्यटन विभाग आदि ने सारनाथ की ऐतिहासिक भूमि पर मूलगंध कुटी बिहार के प्रांगण में दुकानें बनाने की योजना बना ली है और इस पर शीघ्र ही निर्माण-कार्य प्रारम्भ होने वाला है। यदि वहां व्यापारिक केन्द्र बनाए जाते हैं, तो इस पवित्र और शान्तिप्रिय धर्मस्थान की प्रतिष्ठा एवं विशेषता ही समाप्त हो जाएगी। अभी कुछ महीने पहले सारनाथ में धर्मपाल कुटी एवं धर्मकस्तूप के समीप एक जलपान गृह का निर्माण कराया गया है। इसी तरह लगभग आठ वर्ष पहले मूलगंध कुटी विहार के पीछे मृगदावगृह के समीप एक होटल बनवाकर उसे ठेकेदारों के माध्यम से चलाया जा रहा है। उस होटल में शराब तथा अन्य नशीली वस्तुओं की अवैध बिक्री खुले-आम की जाती है, जिसकी वजह से वहां असामाजिक तत्वों का जमघट रहता है, जिसके कारण धर्मयात्रियों की भावनाओं को ठेस लगती है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि बौद्ध, हिन्दू तथा जैन, इन तीन भारतीय विचारधाराओं

की संगम-स्थली वाराणसी के शान्त वातावरण से युक्त सारनाथ के आस-पास कोई होटल, व्यापारिक केन्द्र अथवा आवासीय मकान आदि का निर्माण न होने दे तथा इस समय मूलगंध कुटी विहार भग्वावशेष क्षेत्र में जो होटल आदि बने हैं, उन्हें तत्काल हटा कर सारनाथ की धार्मिक पवित्रता, प्रतिष्ठा एवं प्राचीन संस्कृति को नष्ट होने से बचाने की कृपा करें।

(V) HIGH COURT BRANCH IN WESTERN UTTAR PRADESH

श्री रसीद मसूद (सहारनपुर) : जनाब डिपुटी स्पीकर साहब, उत्तर प्रदेश एक बहुत बढ़ी रियासत है और इस रियासत के ज्यादा-तर इलाकों के लिये इलाहाबाद हाई कोर्ट मुकदमात के फैसले करने का मजाज है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के मगरबी इलाकों के रहने वाले लोगों को अपने मुकदमात की पैरवी करने के लिये इलाहाबाद जाना पड़ता है, जिसमें बहुत ज्यादा वक्त और रुपया खर्च होता है। इस परेशानी को देखते हुए मगरबी जिलों के रहने वाले उत्तर प्रदेश के लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक शाखा मगरबी जिलों में से किसी जिला में खोले जाने की मांग को लेकर एक सत्याग्रह चलाया था और मगरबी जिलों के तकरीबन सारे मेम्बराने-पार्लियामेंट ने भी यह मांग की थी, जिस पर सरकार ने एक कमीशन बिठा दिया, जिसको अपनी रिपोर्ट छः महीने में पेश करनी थी। मगर इस कमीशन को रिपोर्ट पेश करने के लिये दो मर्तबा वक्त दिया जा चुका है और अब इस बात को तकरीबन एक साल हो गया है, जिससे लोगों में बेकरारी और बेचैनी बढ़ती जा रही है।

मेरी सरकार से मांग है कि वह अब इस कमीशन को एक्सटेंशन न दे और फौरन इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बैंच मगरबी जिलों में से किसी जिला में कायम करे, ताकि मगरबी जिलों में रहने वाले लोगों के वक्त और पैसे की बचत हो सके और उन लोगों को सस्ता इन्साफ मिल सके।

شری رشید مسعود (سہارنپور) جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ اتر پردیش ایک بہت بڑی ریاست ہے اور اس ریاست کے زیادہ تر علاقوں کے لیے الہ آباد ہائی کورٹ مقدمات کے فیصلے کرنے کا مجاز ہے جس کی وجہ سے اتر پردیش کے مغربی علاقوں کے رہنے والے لوگوں کو اپنی مقدمات کی پیروی کرنے کے لیے الہ آباد جانا پڑتا ہے جس میں بہت زیادہ وقت اور روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے مغربی ضلعوں کے رہنے والے اتر پردیش کے لوگوں نے الہ آباد ہائی کورٹ کی ایک شاخ مغربی ضلعوں میں سے کسی ضلع میں کھولے جانے کی مانگ کو لے کر ایک ستیہ گرہ چلایا تھا اور مغربی ضلعوں کے تقریباً سارے ممبران پارلیمنٹ نے بھی یہ مانگ کی تھی جس پر سرکار نے ایک کمیشن بٹھا دیا جس کو اپنی رپورٹ چھ مہینے میں پیش کرنا تھی۔ مگر اس کمیشن کو رپورٹ پیش کرنے کے لیے دو مرتبہ وقت دیا جا چکا ہے اور اب بات کو تقریباً ایک سال ہو گیا ہے جس سے لوگوں میں بے کاری اور بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ میری سرکار سے مانگ ہے کہ وہ اب اس کمیشن کو ایکسٹینشن نہ دے اور فوراً الہ آباد ہائی کورٹ کی ایک بینچ مغربی ضلعوں میں سے کسی ضلع میں قائم کرے تاکہ مغربی ضلعوں میں رہنے والے لوگوں کے وقت اور پیسے کی بچت ہو سکے اور ان لوگوں کو سستا انصاف مل سکے۔